Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **गौतम वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **169** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् मुआवजा राशि के चैक प्राप्त करने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली रहें। रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई एतराज नहीं होना जाहिर कर मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की और से हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 239/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम गौतम वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 11.01.2022 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 78,80,728/– अक्षरे अठत्तर लाख अस्सी हजार सात सौ अठाईस रूपये मात्र मुआवजा राशि का चैक अप्रार्थीगण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना कर उक्त मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। वकील प्रार्थी कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी कम्पनी मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का चिंतन–मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 239/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम गौतम वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 11.01.2022 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 78,80,728/– अक्षरे अठत्तर लाख अस्सी हजार सात सौ अठाईस रूपये मात्र निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थीगण को भुगतान करना चाहती है एवं अप्रार्थीगण अब मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 239/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम गौतम वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 11.01.2022 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थी को दिलवाया जाकर हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने का आदेश दिया जाता है।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022/1185 दिनांक 28.06.2022 से प्राप्त अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 तक के नाम पर जारी चैक संख्या 018971 से 018973 दिनांक 11.02.2022 कुल किता 3 कुल तादादी रूपये 78,80,728/- अक्षरे अठ्त्तर लाख अस्सी हजार सात सौ अठाईस रूपये मात्र के चैक तहसीलदार निम्बाहेडा लौटाये जाकर निर्देशित किया जाता है कि आराजीयात जैरबहस के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 06.06.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	